

## #32 कूर्ग गन लॉ मेरे जिले में लागू करने हेतु जनमत संग्रह

(Referendum to bring Coorg like Gun Law in my district)

सरकार द्वारा छापा गया 1963 का नोटिफिकेशन कर्नाटक के कूर्ग जिले के प्रत्येक मूल निवासी को बिना लाइसेंस बंदूक रखने का अधिकार देता है। भारत के शेष जिलों में रहने वाले नागरिकों को यदि अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदनी हो तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। आम तौर पर सरकार द्वारा बंदूक का लाइसेंस सिर्फ चुनिंदा रसूखदार आदमियों को ही दिया जाता है, और इसके लिए 10 लाख से 25 लाख रूप तक की घूस भी देनी होती है। किन्तु कूर्गी नागरिक सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा कर बंदूक खरीद सकता है। हमने कूर्ग का कानून अन्य जिलों में लागू करने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव किया है [#CoorgGunLawReferendum](#)

1. मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यह कानून सिर्फ तब लागू करेंगे जब जनमत संग्रह में किसी जिले की मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के कम से कम 55% मतदाता इसे लागू करने के लिए हाँ (Yes) दर्ज करें।
2. यदि किसी जिले के 55% से कम नागरिकों ने इस कानून को लागू करने की सहमती दी है तो मुख्यमंत्री इस कानून को किसी भी स्थिति में लागू नहीं करेंगे।
3. यदि कुल मतदाताओं के 55% नागरिकों ने कूर्ग के कानून को अपने जिले में लागू करने के लिए अपनी सहमती दे दी है, तब भी इसे लागू करने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। यदि मुख्यमंत्री चाहे तो जनमत के खिलाफ जाने का फैसला ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री यदि निचे दी गयी धाराओं को गेजेट में प्रकाशित कर देते हैं तो अमुक जिले में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री को विधानसभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह का जनमत संग्रह पूरी तरह से संवैधानिक है, अतः इसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत भी नहीं है।

date of notification :	असाधारण ; प्रस्तावित राजपत्र अधिसूचना	notification no :
to be added by CM office	EXTRAORDINARY ; PROPOSED GAZETTE NOTIFICATION	to be added by CM office

Instructions for District Collector

जिला कलेक्टर के लिए निर्देश

क्या आपके जिले में कूर्ग में लागू बंदूक का कानून लागू किया जाना चाहिए ? प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने के आदेश जारी किये जाते हैं। निचे दी गयी प्रक्रिया को पालित करने के लिए आवश्यक कदम अविलम्ब उठाए जाएं।

1. इस जनमत संग्रह की अवधि 90 दिवस होगी। प्रारंभ होने के 90 दिनों पश्चात् जनमत संग्रह बंद हो जाएगा, तथा नतीजे सार्वजनिक कर दिए जायेंगे।
2. नागरिक पटवारी कार्यालय या पंचायत सचिव कार्यालय में जाकर उपरोक्त प्रश्न पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवा कर रसीद प्राप्त कर सकेगा।
3. मतदाताओं की हाँ / ना जिले की वेबसाईट पर भी सार्वजनिक होगी।
4. हाँ दर्ज करने के लिए 3 रूप शुल्क लगेगा, किन्तु ना दर्ज करना निशुल्क होगा।
5. मतदाता अपनी हाँ / ना को कितनी भी बार बदल सकता है।